

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.10.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-06 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कल्लू चौहान पुत्र चन्द्रिका नि० ग्राम सिसई मौजा परसियारानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-199/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. फूलपता पत्नी परशुराम नि० दुल्हापुर गौरवा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-240/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नीलम पत्नी राम पाल नि० इमलिया गुरुदयाल थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-773/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कर्ताराम पुत्र इन्द्रर नि० सेकुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-335/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.10.2021

छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त जीशान को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जीशान पुत्र जमाल अहमद नि० शेखपुरवा मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-302/21, धारा 354घ,354क,506,504 भादवि, 3(1)द,3(1)(डब्यू) एस०सी०एस०टी० एक्ट, 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० ओमप्रकाश यादव मय टीम।